उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-70/994/78-1-2014-173आई0टी0/2014

लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2014

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रिक्स अनुभाग-1 के आदेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29-08-2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 प्रख्यापित की गई है, जिसके बिन्दु संख्या 3.8.2 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 का अनुपालन एवं उसके कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु सशक्त समिति (Empowered Committee**) के गठन की व्यवस्था है, जिसके अनुपालन में निम्न प्रकार से सशक्त समिति (**Empowered Committee**) का गठन किया जाता है:-**

1	**मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन**	**अध्यक्ष**
2	**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
3	**प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
4	**प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
5	**प्रमुख सचिव/सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
6	**प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिजय कर विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
7	**प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
8	**प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
9	**प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
10	**प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
11	**प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
12	**प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
13	**प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**

2- उक्त सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter**)निम्नवत होगा:-**

- **नीति के अन्तर्गत ईएमसी की स्थापना की स्वीकृति।**

http://srasamadesh.up.nic.in

- रू0 200 करोड से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर स्वीकृति हेतु केस-टू- केस आधार पर विचार।
- इस नीति से संबंधित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य(Inter Departmetal coordination) स्थापित करना।
- समस्त स्तरों पर कार्यान्वयन से संबंधित बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर समाधान निकालना।

3- जब तक मिशन निदेशालय का गठन नहीं हो जाता है तब तक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठक आयोजित कराने की व्यवस्था करेंगे तथा बैठक के पूर्व वांछित सूचनाओं को तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव।

संख्या-70/994(1)/78-1-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, (P/N) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान इण्डिया लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- राज्य समन्वयक, सेन्टर फाइ ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

11- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in